न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प
इंदौर संभाग इंदौर

R 352-PBR/16

1. सैयद हारून पिता सैयद असरफ
उम्र 52 वर्ष वृत्ति कृषि/व्यापार
निवासी – सी.एस.पी. बंगले के पास
शनवारा बुरहानपुर
2. सैयद फरकान पिता सैयद हारून
उम्र 23 वर्ष वृत्ति व्यापार
निवासी – सी.एस.पी. बंगले के पास
शनवारा बुरहानपुर ..याचिकाकर्तागण

20.1.16

विरूद्ध

ओंकार पिता शिवा
उम्र 80 वृत्ति कृषि
निवासी ग्राम असीरगढ तहसीलदार. नेपानगर
जिला बुरहानपुर ..अनावेदक

18/1/16

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागण की ओर से निवेदन है कि:–

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय राजस्व संभाग इंदौर के अपील प्रकरण कमांक में 103/15–16 में धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता (स्थगन आवेदन पत्र) के निरस्ती आदेश दिनांक 05.01.16 से अंसतुष्ट एवं दुखी होकर यह पुनरीक्षिण याचिका निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यह कि ग्राम असीर तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर स्थित सर्वे नम्बर 144/2, 142 का रकबा 1.20 एवं 0.20 जुमला रकबा 1.40 हेक्टर याचिकाकर्तागण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिस सम्बंध में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 352 –पीबीआर/2016 **जिला बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–01–2016	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेशिका दिनांक 5–1–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक को स्थगन नहीं दिया गया है, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं पाते हुये स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	